



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14082025-265421
CG-DL-E-14082025-265421

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3616]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 13, 2025/श्रावण 22, 1947

No. 3616]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 13, 2025/SHRAVANA 22, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अगस्त, 2025

का.आ. 3708(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, तमिलनाडु राज्य में NH-32 के किमी. 0/000 – किमी. 104/920 तक तूतीकोरिन-तिरुचेंदुर-कन्याकुमारी रोड के चार लेन एलाइनमेंट के लिए भूमि अधिग्रहण तक में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गांवों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

तमिलनाडु राज्य में NH-32 के किमी. 0/000 – किमी. 104/920 तक तूतीकोरिन-तिरुचेंदुर-कन्याकुमारी रोड के चार लेन एलाइनमेंट के लिए भूमि का अधिग्रहण।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
-----------------------	--------------------------	-----------------------	------------	---------------------	-------------------	------------------

1	विशेष जिला राजस्व अधिकारी, भूमि अधिग्रहण, राष्ट्रीय राजमार्ग, तिरुनेलवेली	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH32 के कि.मी 56.9 से कि.मी 104.92 तक	तमिलनाडु	तिरुनेलवेली	राधपुरम	1	इरुक्कनथुरई भाग -II
---	--	---	----------	-------------	---------	---	---------------------

[फा. सं. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-32/005/AP/2022-23]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th August, 2025

S.O. 3708(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for Land Acquisition for Four Lane Alignment of Tuticorin-Tiruchendur-Kanyakumari road from Km. 0/000 – Km. 104/920 of NH-32 in the state of TAMIL NADU.

SCHEDULE

Land Acquisition for Four Lane Alignment of Tuticorin-Tiruchendur-Kanyakumari road from Km. 0/000 – Km. 104/920 of NH-32 in the state of Tamil Nadu.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7
1	SDRO,LA,NH,Tirunelveli	NH32 KM 56.9 TO KM 104.92	TAMIL NADU	TIRUNELVELI	Radhapuram	1 Irukkanthurai Part - II

[F. No. RO/Chennai/MoRTH/12014/NH-32/005/AP/2022-23]

SHAIKH AMINKHAN, Director